पत्रांक–9/सै0–विविध (जमाबंदी)–17/2023–.....(9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

फैक्स/
ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– **"डिजिटाइजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदियों" को डिजिटाइज कर ऑनलाईन किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य अंतर्गत ऑफलाइन जमाबंदी पंजी से मिलान कर ऑनलाइन जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों के सुधार एवं उन्हें ऑनलाईन किए जाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इस प्रक्रिया के तहत अबतक कुल 112.20 लाख ऑनलाइन जमाबंदियों में सुधार तथा 9.59 लाख डिजिटाइजेशन हेतु छूटे हुये जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर उपरोक्त व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जा रहे है जो निम्न है:–

1. **ऑनलाइन जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों का सुधार** : ऑनलाइन दाखिल–खारिज हेतु जमाबंदियों मे सुधार पूर्ववत होती रहेंगी। जमाबंदी में किए गए बदलाव से संबन्धित लॉग (कब किसके द्वारा क्या बदलाव किया गया है) का प्रतिवेदन ऑनलाइन किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

2. **डिजिटाइजेशन हेतु शेष जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जाना:** ये वैसी जमाबंदियाँ है जो मूल जमाबंदी पंजी मे तो है लेकिन किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं की जा सकी या वैसी जमाबंदियाँ जिसकी मूल जमाबंदी पंजी की प्रति क्षतिग्रस्त होने के कारण ऑनलाइन नहीं की जा सकी। इन जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने की पूर्व की व्यवस्था मे आंशिक बदलाव किए गए है:–

I. **वैसी जमाबंदी जो जमाबंदी पंजी मे तो है लेकिन डिजिटाइज कर ऑनलाइन नहीं किया जा सका है,** ऑनलाइन किए जाने हेतु शेष सभी जमाबंदी को डिजिटाइज करने से पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा अभिलेख खोल कर जमाबंदी ऑनलाइन करने का आदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता से लेना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन करते वक्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश की प्रति ई–जमाबंदी माड्यूल में अपलोड की जाएगी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता आदेश करने से पूर्व जमाबंदी के दाखिल–खारिज का अभिलेख तथा जमीन के स्वरूप की जांच खतियान एवं अन्य अभिलेखों के माध्यम से अनिवार्य रूप से करेंगे। साथ ही संतुष्ट हो लेंगे कि वास्तव में जमाबंदी पूर्व से सृजित है तथा किसी कारणवश डिजिटाईज किये जाने हेतु छूट गयी थी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता आदेश में यह भी उल्लेख करेंगे कि उक्त मौजा में

वर्ष 2017 से आदेश पारित करने की तिथि तक कौन–कौन से राजस्व कर्मचारी पदस्थापित थे एवं उनके द्वारा सरकार के आदेश का अनुपालन न करने के कारण क्या कार्रवाई की गई है? साथ ही आदेश फलक के साथ जमाबंदी पंजी के उस पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न की जाएगी जो डिजिटाइज्ड किए जाने हेतु छूट गयी थी।

II. वैसी जमाबंदियाँ जिसकी मूल जमाबंदी पंजी की प्रति क्षतिग्रस्त होने के कारण ऑनलाइन नहीं की जा सकी, वैसी ऑनलाइन किए जाने हेतु शेष सभी जमाबंदी को डिजिटाइज करने से पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा विभागीय पत्र संख्या–19(9) दिनांक–03/01/2018 के आलोक मे अभिलेख खोल कर जमाबंदी ऑनलाइन करने का आदेश अपर समाहर्ता से लेना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन करते वक़्त अपर समाहर्ता की आदेश की प्रति ई–जमाबंदी माड्यूल में अपलोड की जाएगी।

अपर समाहर्ता आदेश करने से पूर्व जमाबंदी के दाखिल–खारिज का अभिलेख तथा जमीन के स्वरूप की जांच खतियान एवं अन्य अभिलेखों के माध्यम से अनिवार्य रूप से करेंगे तथा संतुष्ट हो लेंगे कि वास्तव में जमाबंदी क्षतिग्रस्त है एवं कारणों का उल्लेख भी आदेश फलक में करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक–01.04.2023 की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

ह०/–
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध(जमाबंदी)–17/2023.–.....(9)/रा0 दिनांक.....

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (जमाबंदी)–17/2023–.....(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– .....

ई–मेल प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(जय सिंह)
सचिव।

ई–मेल ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (जमाबंदी)–17/2023.–.....(9)/रा0 दिनांक.....

प्रतिलिपिः– सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (जमाबंदी)–17/2023–1138–(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– 11/5/23

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाई पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।